

आईआईटी के 10 लाख माफ करने की तैयारी में यूनिवर्सिटी

**आईआईटी-आईआईटी का विवाद
खत्म करने की कोशिश**

इंदौर @पत्रिका. आईआईटी और आईआईटी के बीच चल रही नोटिस की जंग में यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने 10 लाख की बकाया राशि माफ करने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में जल्द दोनों संस्थान के अफसरों

की बैठक बुलाकर घोषणा होगी।

डीएवीवी के इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की क्लासेस 2008 से किराए पर चली है। सिमरोल कैम्पस में क्लासेस शिफ्ट करने के बाद आईआईटी ने अक्टूबर 2015 में एम ब्लॉक की चाबियां आईआईटी को सौंपने की

कोशिश की तो आईआईटी ने किराया बाकी होने की बात कहते हुए चाबियां लेने से इनकार कर दिया। इस पर आईआईटी ने कोरियर से चाबियां भिजवा दी। आईआईटी ने बकाया किराया देने और कैम्पस में तोड़फोड़ की मरम्मत के लिए नोटिस भेजा। जवाब में आईआईटी ने आईआईटी के प्रशासनिक अधिकारी

पर गंभीर आरोप लगाए। यूनिवर्सिटी पहुंचे इस पत्र के बाद से ही अफसर विवाद खत्म करने की कोशिश में जुटे थे। रजिस्ट्रार आरडी मूसलगांवकर का कहना है, दोनों पक्षों से चर्चा की है। विवाद जैसी स्थिति नहीं है। आईआईटी से पांच साल के संबंधों के आधार पर ही यूनिवर्सिटी निर्णय लेगी।